न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री सचिन यादव R.A.S.)

प्रकरण सं. 135/2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022/259
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक :–11.12.2025

1. जसवन्त पुत्र हुक्मसिंह जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

वादी

बनाम

1. श्योदान पुत्र नत्थी (मृतक)
   1/1. परसराम पुत्र श्योदान जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/2. मंगल पुत्र श्योदान जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/3. सुशील पुत्रश्योदान जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
   1/4. सरस्वती पुत्रीश्योदान जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
2. मोहर सिंह पुत्र नत्थी जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. बदनसिंह पुत्र नत्थी जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
4. अंगूरी देवी पुत्री टुण्डे जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
5. ग्यारसी पुत्री टुण्डे जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. प्रेमवती पुत्री टुण्डे जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
7. हीरालाल पुत्र टुण्डे जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
8. मोती पुत्र किशन सिंह जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
9. सोहनलाल पुत्र किशन सिंह जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।
10. हरीसिंह पुत्र किशनसिंह जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई जिला भरतपुर।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

11. राज0 सरकार जरिए तहसीलदार नदबई।
12. एसबीआई शाखा नदबई जरिए प्रबंधक।

प्रतिवादीगण

उपस्थितः—श्री रघुवीरशरण गुप्ता एड. (वादीगण की ओर से)

निर्णय दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.ए.

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र के सारगर्भित तथ्य संक्षिप्त में निम्नानुसार है—

1. यह कि मुकदमा फरीकेन में वादी एवं प्रतिवादीगण में से ऐसा कोई सख्श नहीं है जो दावा लड़ने योग्य न हो।
2. यह कि विवादित आराजी खसरा नंबर 258 रकबा 0.43, 260 रकबा 0.28, 332 रकबा 0.73, 433 रकबा 0.16, 434 रकबा 0.26 किता 5 कुल रकबा 1.86 हैक्टेयर वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई स्थित है।
3. यह कि विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 श्योदान पुत्र नत्थी जाति माली निवासी झारकई तहसील नदबई ने संपूर्ण रकबा 1.86 हैक्टेयर में अपना 24/186 हिस्सा यानि उक्त विवादित आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 0.37 हैक्टेयर बनता है। जिसमें 24 एयर दिनांक 22.12.2010 को जरिए रजि0 विक्रय पत्र मुझ वादी को कीमतन एक लाख रूपए में विक्रय कर दिया तथा वक्त विक्रयपत्र मुझ वादी को उक्त रकबा कब्जा संभला दिया है तभी से मुझ वादी विवादित आराजी के 24 एयर पर काबिज चला आ रहा है। अतः मुझ वादी को विवादित आराजी के प्रतिवादी संख्या 1 के 1/5 हिस्से की खातेदारी पर 24/186 हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं तथा मुझ वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के नाम हो रही वर्तमान में खातेदारी के इन्द्राजात को कलमजन करके 24/186 हिस्से पर खातेदार घोषित कराने का अधिकारी है। अन्य प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 10 अपने रिकॉर्ड हिस्से अनुसार मनबट से काबिज चले आ रहे हैं चूंकि विवादित आराजी का कानूनी बंटवारा नहीं हुआ है इसलिए प्रतिवादीगण अपने हिस्से से अधिक कब्जा करने की नीयत रखते हैं एवं राजस्व लगान अदायगी में भी विवाद रहता है। अतः वादी प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 10 के मध्य हिस्से के अनुसार विवादित आराजी का नियमानुसार बंटवारा कराने हेतु प्रारंभिक डिक्री जारी कराने का अधिकारी है तथा कुरेजात प्राप्त होने के उपरांत कुरे अनुसार अंतिम डिक्री जारी कराने के अधिकारी हैं।

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. यह कि विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 1/5 हिस्से पर मुझ वादी को 24/186 हिस्से पर तथा 13/186 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाए तथा शेष प्रतिवादीगण का रिकॉर्ड अनुसार खातेदारी बदस्तूर रखी जाए।

5. अंत में प्रार्थना की कि मुझ वादी को विवादित आराजी के 24/186 हिस्से पर तथा 13/186 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित करने के बाद वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 10 को उनके हिस्से के अनुसार विवादित आराजी का नियमानुसार बंटवारा किए जाने हेतु प्रारंभिक डिक्री जारी की जाए तथा कुरे प्राप्त होने के उपरांत अंतिम डिक्री जारी की जाए। प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए हुक्मइम्तनाई डिक्री से पाबंद किया जाए कि वह वादी की हिस्से की खातेदारी की आराजी में किसी प्रकार की दखलदांजी न करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन रजिस्टर्ड एडी तलब किया गया। प्रतिवादीगण के विरूद्ध तामील बाबजूद न्यायालय हाजा उपस्थित न होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी संवत 2073–76 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श 1, नकल जमाबंदी संवत 2069–72 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श 2, फोटोप्रति वयनामा दिनांक 22.12.2010 प्रदर्श 3, नकल जमाबंदी संवत 2065–68 वाके ग्राम झारकई प्रदर्श 4 पेश किए गए। मौखिक साक्ष्य के रूप में जसवन्त सिंह पुत्र हुक्म सिंह जाति माली एवं भगवान सिंह पुत्र खूबीराम जाति जाट निवासी झारकई के शपथ पत्र पेश किए गए। तदुपरान्त पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन रहे कि विवादित आराजी कुल रकबा 1.86 हैक्टेयर में से 24/186 हिस्सा का वयनामा जरिए रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 22.12.2010 को प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी के पक्ष में निष्पादित किया है एवं वक्त क्रय से ही वादी उक्त विवादित आराजी पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं, वादी खातेदारी घोषणा करा पाने का अधिकारी है एवं उक्त विवादित आराजी पर

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में चले आ रहे वाहिद इन्द्राजात को कलमजन किया जाए।

हमने वादीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया तो पाया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 258 रकबा 0.43, 260 रकबा 0.28, 332 रकबा 0.73, 433 रकबा 0.16, 434 रकबा 0.26 किता 5 कुल रकबा 1.86 हैक्टेयर वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई पर स्थित है। उक्त विवादित आराजी को वादी जसवन्त सिंह द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 श्योदान पुत्र नत्थी जाति माली निवासी झारकई से जरिए रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 22.12.2010 को क्रय किया है। चूंकि विक्रयपत्र दिनांक 22.12.2010 एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसकी विश्वसनीयता एवं प्रमाणिकता संदेह से परे है। वादी द्वारा मौखिक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत शपथ पत्र भी वादी के वादपत्र का उसके पक्ष में समर्थन करता है। अतः वादी का वाद स्वीकार योग्य पाए जाने से स्वीकार किया जाता है।

::आदेश::

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 258 रकबा 0.43, 260 रकबा 0.28, 332 रकबा 0.73, 433 रकबा 0.16, 434 रकबा 0.26 किता 5 कुल रकबा 1.86 हैक्टेयर वाके ग्राम झारकई तहसील नदबई के 24/186 हिस्से पर वादी को खातेदार काश्तकार एवं 13/186 हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात को कलमजन किया जाता है एवं शेष प्रतिवादीगण का हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन बदस्तूर रहेगा। वादी एवं प्रतिवादीगण विवादित आराजी के विभाजन हेतु नया वादपत्र न्यायालय में पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11/12/15 को लिख जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार हो नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सचिन यादव (R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with OKEN Scanner